उ0प्र0 आलू विकास नीति, 2014 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02 जनवरी, 2014 को सायं 05:30 बजे एनेक्सी भवन, उ0प्र0 सचिवालय स्थित सभा कक्ष में सम्पानित बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति संलग्न है।

मुख्य सचिव के समक्ष उ0प्र0 आलू विकास नीति, 2013 के मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. उ0प्र0 आलू विकास नीति, 2013 को संशोधित कर 2014 किया जाय।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आलू प्रसंस्करण एवं आलू उत्पादन में खाद्य सुरक्षा मानकों को समावेशित करने का प्रस्ताव किया।

उ0प्र0 आलू विकास नीति के अध्याय 6.5 एवं 7.5 पर पूर्व में ही खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था अंकित की गई है।

3- प्रदेश में आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढावा देने के उद्देश्य से एन0एच0आर0डी0एफ0 के साथ प्रदेश की संस्थाओं को भी सम्मिलित किये जाने पर विचार किया गया। निदेशक उद्यान ने अवगत कराया कि अन्य संस्थाओं के द्वारा उक्त कार्य को करने की सहमति नहीं दी गयी। एन0एच0आर0डी0एफ0 के द्वारा पूरे प्रदेश में कार्य करने की सहमति दी गयी है।

बैठक के अन्त में मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 आलू विकास नीति 2014 पर कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कैबिनेट नोट तेयार कर प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शासनादेश आदि जारी कराकर उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जूथिका पाटणकर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या- 1 /149/58-2014-151/2012

लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
(12) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(14) बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0/-

(कैलाश प्रकाश)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in